

प्रेषक,

उमेश चन्द्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक: 11 जनवरी, 2019

विषय: जनपद हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर को 370 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने हेतु कि0मी0 0.00 से कि0मी0 6.04 तक ऊपरी गंगा नहर की आधुनिकीकरण की पुनरीक्षित परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3553/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-146/2017/2139/17-27-सि0-4-126(डब्ल्यू)परि0/09, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर को 370 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने हेतु कि0मी0 0.00 से कि0मी0 6.04 तक ऊपरी गंगा नहर की आधुनिकीकरण की पुनरीक्षित परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान में अनुदान संख्या-94 के लेखा शीर्षक 4700-04-051-12-1214-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 6,43,88,000.00 (रूपया छः करोड़ तैंतालिस लाख, अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- 2- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने, कार्य ससमय पूर्ण कराए जाने एवं स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही करने का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा। अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का होगा।
- 3- परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं का होगा तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं।
- 4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0/डिपाजिट में नहीं रखी जाएगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जाएगी।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जाएगा तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

- 6- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है।
 - 7- सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
 - 8- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 9- कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - 10- नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
 - 11- प्रश्नगत परियोजना पर अवमुक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-04-अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)-051-निर्माण-12-वितरण प्रणाली-1214-सम्बद्ध कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 मे निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र)

उप सचिव

संख्या-4/2019/122(1)/19-27-सिं0-4 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, मेरठ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
- 11- नियोजन अनुभाग-3
- 12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)

उप सचिव।